

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक.....८/११९७...../

जबलपुर, दिनांक ०७/०३/२०१९.

श्री गोपी किशन शर्मा, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर को मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम १९६१ के नियम ८(६) के अंतर्गत उनके द्वारा धारित स्थानापन्न पद पर दिनांक २५-०२-२०१९ से भृत्य के काडर में स्थायी किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक.....८/११९८...../

जबलपुर, दिनांक ०७/०३/२०१९.

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, इंदौर, (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/डी.ई./-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
8. अनुभाग अधिकारी, स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवा पुस्तिका/बजट/अवकाश, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
11. श्री गोपी किशन शर्मा, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


०६.३.१९
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
रजिस्ट्रार